

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-34/2018-10231127 कृ., पटना, दिनांक 16/03/2019

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना।

विषय :

केन्द्र प्रायोजित प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल अंतर्गत केन्द्रांश 2500.00 लाख रु० (पच्चीस करोड़ रु०) तथा राज्यांश 1666.67 लाख रु० (सोलह करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार रु०) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में मात्र 2083.335 लाख रु० आवंटित किये जाने के कारण योजना की अवशेष राशि 2083.335 लाख रु० के अंतर्गत उक्त योजना के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने एवं देयताओं की स्वीकृति की योजना का कार्यान्वयन एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1768.549 (सतरह करोड़ अड़सठ लाख चौवन हजार नौ सौ रु०) [केन्द्रांश 1061.129 लाख रु० + राज्यांश 707.42] की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹17,68,54,630 (सतरह करोड़ अड़सठ लाख चौवन हजार छः सौ तीस रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-958 दिनांक-08.03.2019 द्वारा केन्द्र प्रायोजित प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल अंतर्गत केन्द्रांश 2500.00 लाख रु० (पच्चीस करोड़ रु०) तथा राज्यांश 1666.67 लाख रु० (सोलह करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार रु०) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में मात्र 2083.335 लाख रु० आवंटित किये जाने के कारण योजना की अवशेष राशि 2083.335 लाख रु० के अंतर्गत उक्त योजना के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने एवं देयताओं की स्वीकृति की योजना का कार्यान्वयन एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1768.549 (सतरह करोड़ अड़सठ लाख चौवन हजार नौ सौ रु०) [केन्द्रांश 1061.129 लाख रु० + राज्यांश 707.42] की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹17,68,54,630 (सतरह करोड़ अड़सठ लाख चौवन हजार छः सौ तीस रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹17,68,54,630 (सतरह करोड़ अड़सठ लाख चौवन हजार छः सौ तीस रु०) मात्र में से केन्द्रांश ₹8,80,73,707 (आठ करोड़ अस्सी लाख तिहत्तर हजार सात सौ सात रुपये) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0218-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, विपत्र कोड-01-2401001090218, पी०एफ०एम०एस० कोड-9347-विषयशीर्ष-0218.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त ₹17,68,54,630 (सतरह करोड़ अड़सठ लाख चौवन हजार छः सौ तीस रु०) मात्र में से केन्द्रांश ₹1,69,78,064 (एक करोड़ उनहत्तर लाख अठहत्तर हजार चौंसठ रुपये) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0239-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, विपत्र कोड-01-2401007890239, पी०एफ०एम०एस० कोड-9347-विषयशीर्ष-0239.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उपरोक्त ₹17,68,54,630 (सतरह करोड़ अड़सठ लाख चौवन हजार छः सौ तीस रु०) मात्र में से केन्द्रांश ₹10,61,129 (दस लाख एकसठ हजार एक सौ उनतीस रुपये) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0261- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, विपत्र कोड-01-2401007960261, पी०एफ०एम०एस० कोड-9347-विषयशीर्ष-0261.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. उपरोक्त ₹17,68,54,630 (सतरह करोड़ अड़सठ लाख चौवन हजार छः सौ तीस रु०) मात्र में से राज्यांश ₹5,87,15,860 (पाँच करोड़ सतासी लाख पन्द्रह हजार आठ सौ साठ रुपये) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0318-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, विपत्र कोड-01-2401001090318, पी०एफ०एम०एस० कोड-9347-विषयशीर्ष-0318.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. उपरोक्त ₹17,68,54,630 (सतरह करोड़ अड़सठ लाख चौवन हजार छः सौ तीस रु०) मात्र में से राज्यांश ₹1,13,18,720 (एक करोड़ तेरह लाख अठारह हजार सात सौ बीस रुपये) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0339-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, विपत्र कोड-01-2401007890339, पी०एफ०एम०एस० कोड-9347-विषयशीर्ष-0339.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. उपरोक्त ₹17,68,54,630 (सतरह करोड़ अड़सठ लाख चौवन हजार छः सौ तीस रु०) मात्र में से राज्यांश ₹7,07,150 (सात लाख सात हजार एक सौ पचास रुपये) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0361- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, विपत्र कोड-01-2401007960361, पी०एफ०एम०एस० कोड-9347-विषयशीर्ष-0361.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

8. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक:-3244 वि. (2) दिनांक-04.05.2018 के आलोक में दी जा रही है।

9. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

ज्ञापांक : 102 आवंटन

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले. एवं ह.) बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ., पटना, दिनांक 16/03/2019

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-34/2018-

ज्ञापांक 102 आवंटन

/कृ., पटना, दिनांक 16/03/2019

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर/प्रबंध निदेशक बिहार, राज्य बीज निगम/संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/ सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/बीज, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी कृषि यांत्रीकरण कोषांग/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन/प्रभारी पदाधिकारी आत्मा कृषि विभाग, बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक उद्यान/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान/ सभी जिला नोडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक - 102 आवंटन

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।
/कृ., पटना, दिनांक 16/03/2019

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।